सं०सं०-एम-4-12/2015...6867.../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 21-08-19

**विषय :-** बिहार पुलिस अकादमी के निदेशक को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प सं0-6848/वि0(2), दिनांक 12.08.2008 द्वारा पुलिस अकादमी के निदेशक को विभागाध्यक्ष के समांतर वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है । गृह (आरक्षी) विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के समीक्षोपरांत उक्त वित्त विभागीय संकल्प की कंडिका-(iii) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(iii) बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के प्रथम श्रेणी के संसाधन व्यक्ति के लिए ₹2000/- (दो हजार रूपये) प्रति घंटा, द्वितीय श्रेणी के संसाधन व्यक्ति के लिए ₹1500/- (एक हजार पांच सौ रूपये) प्रति घंटा एवं तृतीय श्रेणी के संसाधन व्यक्ति के लिए ₹1200/- (एक हजार दो सौ रूपये) प्रति घंटा मानदेय तथा स्थानीय संसाधन व्यक्तियों को छोड़ कर बाहर से आने वाले संसाधन व्यक्तियों के लिए ₹800/- (आठ सौ रूपये) प्रतिदिन वाहन किराया भत्ता स्वीकृत करने की शक्ति अकादमी के निदेशक को प्रदान की जाती है । साथ ही संसाधन व्यक्तियों के श्रेणीकरण की शक्ति अकादमी के महानिदेशक (IPS) को प्रत्यायोजित की जाती है ।

पूर्व में निर्गत वित्त विभागीय संकल्प सं0-6848/वि0(2), दिनांक 12.08.2008 को इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

**आदेशः-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20/8/19

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव

**ज्ञापांकः**-एम-4-12/2015...6867.../वि०, **पटना, दिनांक**...21-08-19

**प्रतिलिपिः**-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/8/19

अपर सचिव

**ज्ञापांकः**-एम-4-12/2015...6867.../वि०, **पटना, दिनांक**...21-08-19

**प्रतिलिपिः**-अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/8/19

अपर सचिव

**ज्ञापांकः**-एम-4-12/2015...6867.../वि०, **पटना, दिनांक**...21-08-19

**प्रतिलिपिः**-ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।